

48/2015 हरिष्टाट आदि - राजना आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र
28.4.14	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपरिस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... को पेश हो।
12-7-14	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपरिस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... को पेश हो।
29.11.14	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपरिस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... को पेश हो।
8.2.23	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलाट शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वस्तु तथ्या रिकार्ड दिनांक... को पेश हों।
13.4.23	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलाट शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वस्तु तथ्या रिकार्ड दिनांक... को पेश हों।
12.7.23	पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलाट में रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय दो इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तृतीय तकमिल दाखिल टफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प बुन्दान)